उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1854 सन् 2021

महेंद्र पाल सिंह................................ याचिकाकर्ता
बनाम
उत्तराखंड राज्य और अन्य.................प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से ....श्री जगदीश चन्द्र बेलवाल,
राज्य की ओर से ....श्री सुयश पतं, स्थायी अधिवक्ता उत्तराखंड राज्य

मानन्नीय शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति

राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में, एक विवाद निवारण समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य पार्टियों के बीच संक्षिप्त विवादों को तय करना था, जिसकी अध्यक्षता परगना अधिकारी ने की थी और इसके घटक सदस्य एस0एच0ओ0, चकबंदी अधिकारी को बनाया गया था।

2. उपरोक्त समिति के गठन के अनुसरण में, निजी प्रत्यथी संख्या 05 द्वारा 5•24•32 फुट के क्षेत्र वाले पैमाइश भूमि धारक के संबंध में विवाद निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क करके एक विवाद उठाया गया था। इस प्रकार गठित विवाद निवारण समिति ने पक्षों को नोटिस जारी किए थे और याचिकाकर्ता से शिकायत पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा था, जो इस प्रकार निजी उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत की गई थी, जो दव.195/1 का हिस्सा थी, जिसका क्षेत्रफल 1.3560 हेक्टेयर था, दव.195/5 जिसका क्षेत्रफल 0.0630 हेक्टेयर था, जो राजस्व प्राधिकरण द्वारा मांगी गई और प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, यह एक भूमि थी, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 6 (2) में पड़ी भूमि के रूप में दर्ज किया गया था।

3. इस प्रकार विवाद निवारण समिति के समक्ष आयोजित की गई कार्यवाही में, याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से कार्यवाही में भाग लिया, जैसा कि निष्कर्षों से स्पष्ट होगा, जो दिनांक 24.03.2021 के विवादित आदेश में दर्ज किया गया है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा

वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है। ई कार्रवाई मनमाना होगी, क्योंकि वह अपने पूर्वजों के युग से ही संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, एक ऐसी भूमि पर जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 6 (2) भूमि के रूप में दर्ज है और इसलिए उपरोक्त सरकारी आदेश 07.06.2019 के अनुसरण में कब्जे को बेदखल करने और परिणामस्वरूप भूमि के कब्जे को सौंपने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही मनमाने ढंग से होगी।

4. विवाद निवारण समिति के निर्णय के परिणामस्वरूप, अंततः यह देखा गया कि विवाद निवारण समिति द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर, विवादित संपत्ति पर कब्जा प्रतिवादी को सौंपने का निर्देश दिया गया था और यह एक स्वीकृत मामला है, जिसके परिणामस्वरूप, विवादित भूमि पर कब्जा पहले ही प्रतिवादी को सौंप दिया गया है। उक्त आदेश के पारित होने के बाद, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है और याचिकाकर्ता ने 24.03.2021 के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए हैं।

5. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तर्क में दिए गए मुख्य आधार हैं :–

1. कि विवाद निवारण समिति के पास इस मामले को तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, विशेष रूप से जब यह किसी भूमि संपत्ति से संबंधित हो, जहां कब्जे के हस्तांतरण का मुद्दा विचार का विषय हो।

2. कि विवाद निवारण समिति द्वारा की गई कार्रवाई, कानून की उचित प्रक्रिया के बिना है, क्योंकि उसे गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई पूरी कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए का उल्लंघन करती है।

3. तीसरा, उनका कहना है कि यदि विवाद निवारण समिति के गठन पर ही विचार किया जाता है, वास्तव में विवाद निवारण समिति द्वारा लिए गए किसी निर्णय पर, कोई भी कार्रवाई करने से पहले एस. एस. पी. और जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके विचार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी और चूंकि उक्त प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया था, इसलिए यह उस नीति का उल्लंघन है, जिसे सरकारी आदेश सं0 26/02 दिनांक 07.06.2019 के आधार पर लागू किया गया था।

4- अंत में, उनका कहना है कि प्रत्यर्थियों द्वारा की गई कार्रवाई मनमानी होगी, क्योंकि वह अपने पूर्वजों के युग से ही उस संपत्ति पर कब्जा कर रहा है, जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 6 (2) भूमि के रूप में दर्ज है और इसलिए उपरोक्त सरकारी आदेश 07.06.2019 के अनुसरण में कब्जे को बेदखल करने और परिणामस्वरूप भूमि के कब्जे को सौंपने के लिए संक्षिप्त कार्यवाही मनमाने ढंग से होगी

6. यह न्यायालय उस तर्क से सहमत नहीं है जो याचिकाकर्ता द्वारा लागू किया गया था, इस कारण से कि उस समय, जब इस प्रकार गठित विवाद निवारण समिति ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने के बाद उसे बुलाया था, याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से उन कार्यवाहियों में भाग लिया था और अपने तर्क के समर्थन में साक्ष्य के रूप में अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जो उन निष्कर्षों से स्पष्ट होगा जो विवादित आदेश 24.03.2021 में दर्ज किए गए थे। उस स्थिति में, इस न्यायालय का विचार है कि यह तथ्य कि जब याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने गुण–दोष के आधार पर कार्यवाही का विरोध किया था, अपने पक्ष, बचाव और दावे को प्रत्यर्थी संख्या 05 द्वारा उठाए गए दावे के उल्लंघन में रखते हुए, यह होगा कि याचिकाकर्ता ने उसके संवैधानिक क्षैत्राधिकार में पहली उपलब्ध स्थिति में बिना कोई आपत्ति उठाए डीआरसी के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया है।

7. रुक्मिणी अम्मा सारदम्मा बनाम कल्याणी सुलोचना और अन्य ए. आई. आर. 1993 सुप्रीम कोर्ट 1616, में अदालत ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः–

''22. इस बात पर कि क्या औंदाल अम्मल के मामले (सुप्रा) में फैसले द्वारा उच्च न्यायालय में द्वितीय पुनरीक्षण किया जा सकता है, यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा कोई पुनरीक्षण नहीं है। इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने इसी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र को नहीं हटाया गया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण अधिकार के प्रयोग में पारित किया गया 21.8.86 का पूर्व आदेश शून्य नहीं है। हमें इस पर विचार करने के लिए रुकने की आवश्यकता है क्योंकि इस बिंदु का आग्रह अपीलार्थी द्वारा प्रेषण का आदेश दिए जाने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए था। प्रेषण के आदेश के अनुसार अपीलार्थी ने किराया नियंत्रक के समक्ष कार्यवाही में भाग लेकर एक मौका लिया और मामले को अपील में लिया। इस प्रकार, इन कार्यवाहियों में सहमति जताने के बाद वह पहले प्रेषण आदेश पर सवाल नहीं उठा सकता। ''

8. कानून में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी कार्यवाही के पक्ष को कोई संदेह है, तो वह निकाय, जिसे इस प्रकार सरकारी आदेश दिनांक 07.06.2019 के तहत किसी अधिकार पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, कानून के तहत निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। संबंधित पक्ष, जिसे विवाद की प्रकृति तय करने के लिए गठित निकाय की क्षमता के बारे में संदेह है, से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी योग्यता के आधार पर अपनी कार्यवाही में भाग लेने और प्रस्तुत करने से पहले पहले उपलब्ध उदाहरण में क्षमता के मुद्दे के बारे में आपत्ति उठाए, ऐसा नहीं करने के बाद और विवाद निवारण समिति के समक्ष कार्यवाही का विरोध करने के बाद, अपने गुण–दोष के आधार पर, याचिकाकर्ता को अब पूछताछ, अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया जाता है और विशेष रूप से, जब कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही के रूप में होती है, जिसे उसके द्वारा स्वेच्छा से चुनौती दी गई ।

9. याचिकाकर्ता ने कहा है कि प्रत्यर्थीयों की कार्रवाई मनमाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300ए का नीचे वर्णन किया गया हैं :–

''300ए . कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।"

10. यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए के सैद्धांतिक प्रावधान पर विचार किया जाता है, तो यह केवल संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत परिभाषित किसी व्यक्ति या नागरिक की संपत्ति के अधिकार या उससे वंचित होने की रक्षा करता है, बशर्ते कि यह ''उसकी संपत्ति'' हो, जिसका कब्जा सुरक्षित हो। इस न्यायालय की राय के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए के तहत परिकल्पित संवैधानिक जनादेश, विशेष रूप से केवल उस संपत्ति के संबंध में अधिकार की रक्षा करता है जिस पर एक व्यक्ति का स्वामित्व है, यह स्वीकार किया जाता है कि वर्तमान में भूमि श्रेणी 6 (2) के रूप में दर्ज की गई है, केवल बिना सबूत के एक दावा है कि याचिकाकर्ता के पूर्वज संपत्ति पर रह रहे थे, याचिकाकर्ता को तब तक अधिकार नहीं देंगे, जब तक कि उक्त तथ्य रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए कब्जे की लंबाई भी दस्तावेजी साक्ष्य यानि खसरा प्रविष्टियों द्वारा स्थापित की जानी चाहिए। खसरा प्रविष्टियाँ, ताकि याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिकार प्रदान करने के लिए इसका क्या असर होगा, जिसका निर्णय सक्षम दीवानी अदालत द्वारा किया जाना है।

11. इसलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300–ए, एक अनन्य प्रावधान नहीं है, जिसका उद्देश्य संपत्ति पर किसी व्यक्ति के अधिकारों को तय करने के प्रावधानों को समाप्त करना या खत्म करना है और एक प्रमुख तत्व जो आवश्यक है वह यह है कि सुरक्षा संपत्ति के संबंध में होनी चाहिए, जो व्यक्ति के पास निहित है। वर्तमान मामले में भूमि अभिलेख नियमावली के तहत प्रदान किए गए राजस्व कानून के अनुसार, श्रेणी 6 (2) में दर्ज भूमि, की प्रकृति में शामिल है, और पैरा ए–124 के तहत वर्णित है, जो भूमि को निम्नानुसार वर्णित करता है: –

''ए–124 , जोतों की व्यवस्था–खतौनी में प्रत्येक गाँव के भीतर भूमि की व्यवस्था इस प्रकार होगी:

<u>भाग 1</u>

(1) [गाँव सभा, सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा खेती की गई भूमि जिसे उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117–ए के तहत भूमि प्रबंधन हेतू सौंपा गया है। ।

<u>नोट</u>–इस वर्ग में गाँव समाज या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा117–ए के तहत भूमि के प्रबंधन के लिए सामुदायिक उद्यानों या उपवनों का रोपण भी शामिल होगा।

(1–ए) भूमिदारों द्वारा धारित भूमि ,

(1–बी) सरकारी अनुदान अधिनियम के तहत व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि,

(2) सीरदार द्वारा धारित भूमि।;

(3) भूमि पर कब्जा करने वाले या रखने वाले आसमियों द्वारा धारित भूमि.

(क) चरागाह भूमि के गैर.अधिभोगी किरायेदारों के रूप में, या पानी से ढकी भूमि का और निहित होने की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को सिंघारा और अन्य उपज, या नदी के तल में भूमि उगाने के उद्देश्य से उपयोग किया जाता था और आकस्मिक या कभी.कभार खेती का उपयोग किया जाता था,

(ख) भूमि के गैर.अधिभोग किरायेदारों के रूप में, जिसे राज्य सरकार ने निहित करने की तारीख से पहले, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थानांतरण और अस्थिर खेती के क्षेत्र के हिस्से के रूप में घोषित किया था,

(ग) भूमि के गैर.अधिभोग किरायेदारों के रूप में जिसे राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निहित करने की तारीख से पहले तनुगिया वृक्षारोपण के लिए या अलग करने के लिए घोषित किया था।

(4.ए) भूमि धारण अधिनियम, 1960 पर अधिकतम सीमा के उत्तर प्रदेश अधिरोपण के तहत अधिग्रहित अतिरिक्त भूमि निम्नलिखित हैः

(ए) भूमि धारण अधिनियमए 1960 पर अधिकतम सीमा के उत्तर प्रदेश अधिरोपण के प्रावधानों के तहत किसी भी अवधि के लिए किसी भी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि,

(बी) कोई अन्य भूमि।

टिप्पणी. जो अतिरिक्त भूमि यू0 पी0 सीमा अधिरोपण भूमि धारण अधिनियम, 1960 के तहत अधिग्रहित स्थायी या अंतरिम अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दी गई है, उसे उपरोक्त उप.धारा (बी) के तहत दिखाया जाएगा। भूमि का ऐसा विवरण, पार्टी जादीद, पार्टी क्वादीम बंजर भूमि, आदि, इन सभी को खतौनी में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें कॉलम 18 और 19 में दर्ज किया जाएगा, जैसे कि खेती योग्य भूमि में शामिल गैर.खेती वाली भूमि के मामले में कुल, (2),(ए) और (बी) सभी अतिरिक्त भूमि के बराबर होगी, जो पहले से ही यूपी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1960 के तहत अधिग्रहित की गई थी।

(5) संवर्धित भूमि

(1) नई परती,

(2) पुरानी परती,

(3) संवर्धित अपशिष्ट.

(ए) लकड़ी के पेड़ों के वन.

(1) वन विभाग के प्रबंधन के तहत ;वन विभाग को सौंपे गए पूर्व निजी वनों सहित।

(2) गाँव समाज में निहित

(बी) अन्य पेड़ों, झाड़ियों, झाड़ियों आदि के वन।

(1) वन विभाग के प्रबंधन के तहत ;जिसमें वन विभाग को सौंपे गए पूर्व निजी वन भी शामिल हैं।

(2) गाँव समाज में निहित

(सी) स्थायी चरागाह और अन्य चराई भूमि ;

(डी) घास और बांस की झाड़ियाँ

(ई) अन्य संवर्धित अपशिष्ट।

टिप्पणी.;(1) लकड़ी के पेड़ के ऊपर उपखंड, (3) के तहत वर्गीकरण के उद्देश्य से उस पेड़ का अर्थ है जिसका मूल्य मुख्य रूप से निर्माण उद्देश्यों के लिए उसकी लकड़ी और उसके फल या इसी तरह की उपज में निहित है। लकड़ी के पेड़ों के उदाहरण हैं सखु, सागौन, हस्ना, देवदार, हल्दुआ, देशी आम ;कलमी नहीं, नीम, शीशम, जामुन, आसना, महुआ, तुन शहतूत कदम बांस, इमली चिर, साइप्रस, बबूल, आंवला, बेल, कैथा, ढिक, किकर आरमा, आम और कांजी ;पोंगमियागलब्राद्धआदि। ऐसे पेड़ जैसे बरगद, पक्कर, पीपल, गुलर आदि, लकड़ी के पेड़ नही है।

(2) उपवर्ग (बी) (2) में बबुल, ढाक, सरहोर, बांकराउंडा आदि शामिल होंगे।

(3) उपवर्ग (सी) में वन क्षेत्रों के भीतर की चराई भूमि भी शामिल होगी

(4) उपवर्ग के लिए (डी) छप्पर वाली घास के उदाहरण बेड, नारकुल, पटवार, कंस, बैद आदि हैं।

(6) बंजर भूमि–

(1) जल से आच्छादित,

(2) गैर–कृषि उपयोग के लिए रखी गई भूमि, सड़कें, रेलवे, भवन और अन्य भूमिय

(3) कब्रिस्तान और दाह संस्कार स्थल और अबादी क्षेत्र में कार्यकाल धारकों द्वारा धारण की गई भूमि में शामिल भूमि के अलावा

(4) अन्यथा बंजर भूमि,

नोट– (1) उपवर्ग (4) में ऐसी भूमि शामिल होगी जिसे उच्च लागत के बिना खेती के तहत नहीं लाया जा सकता है।

(2) भारत संघ, राज्य सरकार, गाँव सभा, या वर्ग (5) या वर्ग (6) के तहत दर्ज किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण द्वारा धारित भूमि को भारत संघ या राज्य सरकार के संबंधित विभागों या गाँव सभा या स्थानीय प्राधिकरण के नाम से दर्ज किया जाएगा, जो प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन को दर्शाने के लिए क्रमशः ए, बी. सी., डी के समान होगी।

भाग 2

(7) भूमि पर कब्जा करने वाले या कब्जा करने वाले आसमियों द्वारा धारित भूमि–

(ए) निहित करने की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को मध्यस्थ के उपवन के गैर–अधिभोग किरायेदारों के रूप में,

(बी) निहित करने की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को उपवन भूमि के उप–किरायेदारों के रूप में,

(सी) निहित होने की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को, किरायेदारी (संशोधन) अधिनियम, 1947, की धारा 27 की उप–धारा (3) के परंतुक के तहत उप–किरायेदारों के रूप में।

(डी) जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 19 के वर्ग (1) से (4) में उल्लिखित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों से बंधक के रूप में।

(ई) उस व्यक्ति के रूप में जिसे सीर या खुदकश्त को उसके धारक द्वारा रखरखाव भत्ते के बदले में आवंटित किया गया था, जैसा कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950, की धारा 11 में प्रदान किया गया है।

(एफ) ठेकेदार के रूप में, जिसने निहित करने की तारीख से तुरंत पहले की तारीख को खेती की थी, भूमि जो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950, धारा 13 की उप–धारा 92 के खंड (ए) में प्रदान की गई थी।

(जी) धारा 21 की उप–धारा (1) के खंड (ज) में उल्लिखित सीर भूमि के किरायेदारों के रूप मेंय

(एच) उ0प्र0 किरायेदारी अधिनियम, 1939,की धारा 252 (1) के तहत अदालत से पट्टा धारक के रूप में।

(आई) उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950,की धारा 21 (2) में निर्दिष्ट उपवन–भूमि के अधिभोगियों के रूप में।

(जे) उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम,1950, के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार किए जाने पर। इस स्वामित्व में शामिल भूमि के पट्टेदार के रूप में भूमिधर या सीरदार द्वारा।

(8) अधिवासियों द्वारा धारित भूमि।

(9) खसरा के कॉलम 4 में दर्ज व्यक्ति की सहमति के बिना भूमि पर कब्जा करने वाले।

टिप्पणी–(1) संदर्भ सुविधा के लिए उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950, की धारा 4 से 24 तक जिसमें भूमिधरों, सीरदारों, आसामियों और आधिवासियों से संबंधित कानून शामिल हैं, इस अध्याय के अंत में पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

(2) वर्ग (3) और (7) में उल्लिखित असमियों का उप–वर्गीकरण केवल बाद की खतौनी में निहित होने की तारीख के बाद तैयार की गई पहली खतौनी में दिखाया जाना चाहिए।

12. याचिकाकर्ता का तर्क है कि डी. आर. सी. के समक्ष आयोजित कार्यवाही में उसे पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि उसे गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। इस न्यायालय की राय में, वास्तव में, डी. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही, जिसका गठन मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सरकारी आदेश संख्या 26/2 दिनांकित 07.06.2019 के अनुसरण में किया गया था, जो एक 'वैकल्पिक सारांश मंच' था, जिसे संक्षिप्त विवाद पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए बनाया गया था, जहां विस्तृत साक्ष्य प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी और इस संभावना पर इस दृ ष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है कि जब याचिकाकर्ता डी. आर. सी. के समक्ष कार्यवाही में भाग ले रहा था, अगर वह जिरह करने का अवसर प्राप्त करना चाहता था, तो प्रतिद्वंद्वी पक्ष के गवाह, उसे अपनी शिकायत के निवारण के लिए डी. आर. सी. के

समक्ष एक उचित आवेदन के लिए प्रार्थना आवेदन दायर करके एक अवसर का लाभ उठा सकते थे, या होना चाहिए था। ऐसा नहीं करने के बाद, वह रिट स्तर पर यह तर्क नहीं दे सकता कि विवाद निवारण समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण थी।

13. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील के इस तर्क को अगर एक अलग परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखा जाए, तो यदि वह तर्क देता है कि उसे गवाहों से जिरह करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, तो इसका मतलब है कि उसने डी. आर. सी. के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया है। इसलिए, विवाद की प्रकृति तय करने के लिए डी. आर. सी. की क्षमता के बारे में उन्होंने जो पहला सवाल उठाया है, वह उनके अपने तर्कों के अनुसार कमजोर है, क्योंकि इस स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी विरोधाभासी रुख की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

14. अंत में, वह प्रस्तुत करते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, विवाद निवारण मंच का गठन करते हुए, यदि डी. आर. सी. द्वारा कोई निर्णय लिया जाना था, तो उसे सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखा जाना चाहिए था जैसा कि उक्त सरकारी आदेश में निर्धारित किया गया है। एसएसपी और जिला मजिस्ट्रेट और डीआरसी की रिपोर्ट को उपरोक्त प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण, पूरी कार्यवाही दूषित हो जाएगी।

15. यह तर्क भी इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि डी. आर. सी. की रिपोर्ट के निर्णय को उपरोक्त दो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है।, क्योंकि इसका किसी अधिकार के निर्धारण से संबंधित कोई प्रभाव नहीं होगा जो बनाया गया है और यह केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति का था और अधिकारियों द्वारा अधिकार के पुर्ननिर्धारण के लिए एक ठोस प्रावधान या निर्देश नहीं था, जिनके समक्ष रिपोर्ट रखी जानी थी, इसका डीआरसी द्वारा लिए गए निर्णय या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. अन्यथा भी, इस न्यायालय का विचार है कि एक बार जब याचिकाकर्ता द्वारा ऐसी भूमि के संबंध में अधिकार का दावा किया जाता है जो श्रेणी 6 (2) में दर्ज की गई है, जिसके लिए यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता या उसके पूर्ववर्तियों के पास एक अधिकार निहित था, जो अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 05 द्वारा दावा किया गया था, तो इसमें निजी प्रतिवादी द्वारा उठाए गए

प्रतिद्वंद्वी दावे के गुण–दोष पर निर्णय लिया जाएगा, जो केवल एक सक्षम दीवानी अदालत या राजस्व अदालत के लिए और उसके द्वारा उत्तरदायी होगा, लेकिन विवाद निवारण समिति का निर्णय, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने अपनी कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया है, अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है, यदि ऐसा होता है तो उसके सिविल अधिकार का उल्लघंन होगा ,जिसके बारे में वह दावा करता है कि वह उस भूमि के संबंध में है, तो उसका उचित उपाय सिविल अदालत के समक्ष जाना होगा , न कि रिट अधिकारिता में, क्योंकि रिट याचिका में उठाये गये तर्कों से जो अंतिम प्रभाव जाहिर तौर पर सामने आया है, वह यह है कि डी. आर. सी. द्वारा लिये निर्णय के परिणामस्वरूप, कब्जा प्रत्यर्थी सं0 6 को सौंप दिया न्यायालय के माध्यम से हो सकता है, जैसा भी मामला हो, लेकिन रिट याचिका के माध्यम से नहीं क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अदालतें , दो प्रतिस्पर्धी निजी पार्टियों के सिविल अधिकारों का निर्णय नहीं कर सकता है, जिसके लिए संबंधित अधिकारों को निर्धारित करने के लिए साक्ष्य की विवेचना आवश्यक होती है।

17. इसलिए, उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं है। इस न्यायालय की राय के अनुसार, याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त उपाय उपलब्ध होगा, जिसे याचिकाकर्ता के लिए विचाराधीन भूमि के संबंध में अपने सिविल अधिकारों के निर्धारण के लिए नियमित अदालत के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करके अपनाया जा सकता है

18. निर्णय की समाप्ति के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने शक्ति के दायरे के संबंध में अदालत को संबोधित करने की मांग की थी, जो विवाद निवारण समिति के पास निहित है, जिसे सरकारी आदेश दिनांक 07.06.2019 द्वारा गठित किया गया है, वह जो तर्क देना चाहते हैं वह यह है कि विवाद निवारण समिति, जिसका गठन किया गया है, केवल एक सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कर सकती है, यह एक अंतर नागरिक विवाद निवारण मंच के विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन यदि विवादित आदेश में दर्ज निष्कर्ष को वास्तव में ध्यान में रखा जाता है, तो यह प्रतिबिंबित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी सक्षमता के साथ–साथ शक्ति के दायरे के इस विवाद को उठाया है। इसलिए इस तर्क को भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300–ए के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, भारत के संविधान के अनुच्छेद

226 के तहत एक रिट क्षेत्राधिकार में विचार के विषय के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए भी, यह न्यायालय रिट याचिका में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)
16.09.2021

द्वारा– शैलेन्द्र कुमार यादव
सिविल जज, कीर्ति नगर
टिहरी गढवाल